VIII मुद्रा प्रबंध

अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्यवर्ग के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत ₹100 एवं ₹20 के करेंसी नोटों का निर्गम, नोट वापसी नियमावली में संशोधन और रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों का उन्नयन मुद्रा प्रबंध की उल्लेखनीय विशेषताएँ रहीं।

VIII.1 रिज़र्व बैंक का मुद्रा प्रबंध कार्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्यवर्ग के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य से संचालित होता है। वर्ष 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत ₹100 और ₹20 मूल्यवर्ग के नोट जारी करना, नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का उन्नयन मुद्रा प्रबंध की महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। रंग बदलने वाली स्याही के घरेलू स्तर पर उत्पादन की दिशा में सुव्यवस्थित प्रयास भी किए गए हैं। उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल वाला समन्वित कंप्यूटराइज्ड मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आईसीसीओएमएस) एप्लिकेशन तथा मुद्रा प्रबंध के कार्य को रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) से एकीकृत करने का काम प्रगति पर है। रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2018 में मुंबई में अत्याधुनिक बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला की स्थापना की है।

VIII.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमी में शेष अध्याय को इस प्रकार संयोजित किया गया है: भाग 2 में संचलनगत मुद्रा में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में 2018-19 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को शामिल किया गया है और भाग 4 में 2019-20 के लिए कार्ययोजना की चर्चा की गयी है।

2. संचलनगत मुद्रा में हुई गतिविधियां

VIII.3 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, और ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और 1, 2, 5 और 10 रुपए मूल्यवर्ग शामिल हैं। मूल्य के रूप में देखें तो कुल संचलनगत मुद्रा में बैंकनोट की प्रमुख हिस्सेदारी है (लगभग 99 प्रतिशत)।

बैंकनोट

VIII.4 वर्ष 2018-19 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य में 17.0 प्रतिशत और मात्रा में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो क्रमशः ₹21,109 बिलियन रही और नोटों की संख्या 108,759 मिलियन रही। मूल्य की बात करें तो ₹500 और ₹2000 के बैंकनोटों की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च 2019 के अंत तक 82.2 प्रतिशत पहुँच गयी जबकि मार्च 2018 के अंत में यह दोनों मिलकर 80.2 प्रतिशत ही थें। संचलनगत ₹500 के बैंकनोटों के मूल्य में वर्ष के दौरान तेज वृद्धि हुई थी जो 42.9 प्रतिशत से बढ़कर 51.0 प्रतिशत हो गयी थी। मात्रा पर गौर करें तो, ₹10 और ₹100 के बैंकनोट मार्च 2018 के अंत में 51.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2019 के अंत तक कुल संचलनगत मुद्रा के 47.2 प्रतिशत थें (सारणी VIII.1)।

सिक्के

VIII.5 संचलनगत सिक्कों के कुल मूल्य में विगत वर्ष की 2.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल मात्रा में पिछले वर्ष में हुई 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2019 के आँकडों के अनुसार, संचलनगत सिक्कों की कुल

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च के अंत तक)

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नोटों की संख्या)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
2 एवं 5	11,557 (11.5)	11,425 (11.2)	11,302 (10.4)	45 (0.3)	44 (0.2)	44 (0.2)
10	36,929 (36.8)	30,645 (29.9)	31,260 (28.7)	369 (2.8)	307 (1.7)	313 (1.5)
20	10,158 (10.2)	10,016 (9.8)	8,713 (8.0)	203 (1.5)	200 (1.1)	174 (0.8)
50	7,113 (7.1)	7,343 (7.2)	8,601 (7.9)	356 (2.7)	367 (2.0)	430 (2.0)
100	25,280 (25.2)	22,215 (21.7)	20,074 (18.5)	2,528 (19.3)	2,222 (12.3)	2,007 (9.5)
200	- -	1,853 (1.8)	4,000 (3.7)	- -	371 (2.1)	800 (3.8)
500	5,882 (5.9)	15,469 (15.1)	21,518 (19.8)	2,941 (22.5)	7,734 (42.9)	10,759 (51.0)
1000	89 (...)	66 (...)	- -	89 (0.7)	66 (0.4)	- -
2000	3,285 (3.3)	3,363 (3.3)	3,291 (3.0)	6,571 (50.2)	6,726 (37.3)	6,582 (31.2)
कुल	**100,293 (100.0)**	**102,395 (100.0)**	**108,759 (100.0)**	**13,102 (100.0)**	**18,037 (100.0)**	**21,109 (100.0)**

- : लागू नहीं। ... : नगण्य।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारिबैं।

मात्रा में 83.6 प्रतिशत ₹1, ₹2, और ₹5 के सिक्के थें, वहीं मूल्य की दृष्टि से इन मूल्यवर्गों की हिस्सेदारी 78.3 प्रतिशत थी (सारणी VIII.2)।

मुद्रा प्रबंध इन्फ्रास्ट्रक्चर

VIII.6 मुद्रा (बैंकनोट और सिक्के दोनों) के निर्गमन संबंधी कार्यकलाप एवं प्रबंधन रिज़र्व बैंक द्वारा देश भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से किया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक भारतीय स्टेट बैंक के पास सर्वाधिक लगभग 63 प्रतिशत करेंसी चेस्ट हैं और उसके बाद लगभग 31 प्रतिशत करेंसी चेस्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास हैं (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च के अंत तक)

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788 (12.7)	14,788 (12.4)	14,788 (12.3)	7 (2.8)	7 (2.7)	7 (2.7)
1	48,347 (41.6)	49,636 (41.7)	50,326 (41.8)	48 (19.2)	50 (19.5)	50 (19.4)
2	32,059 (27.6)	32,855 (27.6)	33,154 (27.6)	64 (25.6)	66 (25.8)	66 (25.6)
5	15,783 (13.6)	16,650 (14.0)	17,151 (14.2)	79 (31.6)	83 (32.4)	86 (33.3)
10	5,205 (4.5)	5,049 (4.2)	4,905 (4.1)	52 (20.8)	50 (19.5)	49 (19.0)
कुल	**116,182 (100.0)**	**118,978 (100.0)**	**120,324 (100.0)**	**250 (100.0)**	**256 (100.0)**	**258 (100.0)**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कोष्ठक में दी गयी संख्याओं का योग 100 न हो।

स्रोत : भारिबैं।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2018-19 के लिए बैंकनोटों की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत कम रही। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकनोटों की आपूर्ति पिछले वर्ष से ज्यादा थी। इस अवधि के दौरान सिक्कों की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष के मुक़ाबले 4.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (सारणी VIII.4 एवं VIII.5)।

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो
(31 मार्च 2019 के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,408	2,303
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,186	1,006
निजी क्षेत्र के बैंक	197	193
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
उप राजकोष कार्यालय (एसटीओ)	4	0
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**3,812**	**3,519**

स्रोत : भारिबैं।

सारणी VIII.4: बैंक नोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल एवं एसपीएमसीआईएल द्वारा उसकी आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17		2017-18		2018-19	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	..	..	..	..	..	..
10	3,000	2,785	4,237	4,313	3,920	4,289
20	6,000	4,118	2,458	2,051	46	210
50	2,125	2,700	3,784	2,793	4,233	4,040
100	5,500	5,738	8,068	3,170	6,330	6,407
200	-	-	2,694	2,832	2,615	2,730
500 (महात्मा गांधी शृंखला)	5,725	2,013	-	-	-	-
500 (नया डिज़ाइन)	-	7,260	9,213	9,693	11,692	11,468
1000	2,200	925	-	-	-	-
2000	3,500	3,504	151	151	47	47
कुल	**28,050**	**29,043**	**30,605**	**25,003**	**28,883**	**29,191**

-: लागू नहीं। .. : नगण्य

टिप्पणी : बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
एसपीएमसीआईएल: सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

स्रोत : भारिबैं।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.8 मार्च 2018 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की प्रोसेसिंग पूर्ण करने के बाद रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीएन की प्राथमिकता की वजह से जमा हुए अन्य मूल्यवर्ग के गंदे नोटों पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कुल निपटान किए गए गंदे बैंकनोटों में ₹10 और ₹100 मूल्यवर्ग के 83.3 प्रतिशत बैंकनोट थें (सारणी VIII.6)।

जाली नोट

VIII.9 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए कुल जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) में से 5.6 प्रतिशत नोट रिज़र्व बैंक में पकड़े गए और 94.4 प्रतिशत नोट अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा उसकी आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2016-17		2017-18		2018-19	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
50 पैसे	30	30	..	..	..	..
₹1	6,300	3,548	1,830	2,008	2,000	2,555
₹2	4,200	2,461	1,184	1,539	1,000	1,286
₹5	2,270	2,429	1,698	1,545	1,132	678
₹10	2,200	1,223	3,000	760	2,000	1,613
कुल	**15,000**	**9,691**	**7,712**	**5,852**	**6,132**	**6,132**

.. : नगण्य

स्रोत : भारिबैं।

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान
(अप्रैल – मार्च)

(मिलियन नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
2000	..	..	1
1000	1,514	6,847	2
500	3,506	20,024	15
200	-	-	..
100	2,586	105	3,795
50	778	83	835
20	546	114	1,163
10	3,540	497	6,524
5 तक	34	8	59
कुल	**12,503**	**27,678**	**12,393**

-: लागू नहीं। .. : नगण्य
टिप्पणी : संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कॉलम में दी गयी संख्याओं का योग कुल न हो।
स्रोत : भारिबैं।

VIII.10 पिछले वर्ष की तुलना में ₹10, ₹20, एवं ₹50 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों में क्रमशः 20.2 प्रतिशत, 87.2 प्रतिशत और 57.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ₹100 मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में 7.5 प्रतिशत की कमी आयी थी। ₹200 के मूल्यवर्ग, जिसे अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, में पिछले वर्ष के दौरान पाए गए 79 के मुक़ाबले 12,728 जाली नोट पाए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹500 (नई डिजाइन वाले नोट) मूल्यवर्ग में जाली नोटों में 121.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई

सारणी VIII.7: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या
(अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2016-17	32,432	729,640	762,072
	(4.3)	(95.7)	(100.0)
2017-18	188,693	334,090	522,783
	(36.1)	(63.9)	(100.0)
2018-19	17,781	299,603	317,384
	(5.6)	(94.4)	(100.0)

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारिबैं।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट
मूल्यवर्ग के अनुसार
(अप्रैल-मार्च)

(संख्या : नग में)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
2 और 5	80	1	..
10	523	287	345
20	324	437	818
50	9,222	23,447	36,875
100	177,195	239,182	221,218
200	-	79	12,728
500 (महात्मा गांधी शृंखला)	317,567	127,918	971
500 (नए डिज़ाइन)	199	9,892	21,865
1000	256,324	103,611	717
2000	638	17,929	21,847
कुल	**762,072**	**522,783**	**317,384**

-: लागू नहीं। .. : नगण्य
स्रोत : भारिबैं।

थी जबकि ₹2000 के मूल्यवर्ग में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.11 दिनांक 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल ₹48.11 बिलियन व्यय हुआ था जबकि पिछले वर्ष यह व्यय ₹49.12 बिलियन था।

3. वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) के साथ मुद्रा प्रबंध कार्य का एकीकरण

VIII12 इनवेंटरी प्रबंधन और करेंसी चेस्ट में लेन-देन के लेखांकन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा प्रबंध परिचालन के लिए आईसीसीओएमएस एप्लिकेशन का उपयोग अपने मुद्रा प्रबंध समाधान के रूप में करता रहा है। आईसीसीओएमएस के स्थान पर एक उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल लाया जा रहा है जिसमें मुद्रा प्रबंध का कार्य रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) से एकीकृत होगा। नए मॉड्यूल की कुछ मुख्य विशेषताओं में उन्नत इनवेंटरी प्रबंधन, करेंसी चेस्ट लेनदेन का सन्निकट तत्काल लेखांकन, पारगमन

लेखांकन और संचलनगत मुद्रा पर बेहतर नज़र रखना शामिल हैं। एकीकरण परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है: क्षेत्रीय कार्यालय – निर्गम विभाग मॉड्यूल (पहला चरण); करेंसी चेस्ट पोर्टल के साथ बाह्य लेखांकन मॉड्यूल (दूसरा चरण); और एमआईएस-अनुषंगी मॉड्यूल (तीसरा चरण)। पहला चरण लागू हो गया है तथा दूसरा चरण कार्यान्वयन के अंतिम दौर में है।

बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला

VIII.13 बैंक नोट उत्पादन से संबंधित प्रणाली और प्रसंस्करण की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञों के समूह (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) की सिफ़ारिशों के आधार पर विभिन्न प्रेसों में मानकीकरण और बैंकनोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2018 में मुंबई में अत्याधुनिक बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला की स्थापना की।

बैंकनोट हैंडलिंग प्रक्रिया का स्वचालन

VIII.14 सीवीपीएस के जरिए बैंकनोटों की प्रोसेसिंग की मौजूदा स्वचालित प्रणाली के अतिरिक्त, मुद्रा प्रबंध के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कार्यविधि का उन्नयन करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठापित करने और बैंकनोट हैंडलिंग की कार्यविधि को स्वचालित बनाने पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

करेंसी चेस्टों (सीसी) के लिए न्यूनतम मानक

VIII.15 मुद्रा संचलन से संबंधित समिति (सीसीएम) (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफ़ारिश की है कि रिज़र्व बैंक को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाले बड़े करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तदनुसार, करेंसी चेस्टों के लिए संशोधित न्यूनतम मानक 8 अप्रैल 2019 को जारी किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया है कि स्ट्रॉंग रूम/वॉल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 1500 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा उसकी प्रति दिन 660,000 पीस बैंकनोटों के प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में करेंसी चेस्टों के स्ट्रॉंग रूम/वॉल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 600 वर्ग फीट होना चाहिए तथा 210,000 पीस बैंकनोटों के प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन करेंसी चेस्टों में इन्फ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार होने चाहिए कि वे स्वचालन और आईटी सोल्यूशन्स के कार्यान्वयन को अपना सकें।

बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताएं

VIII.16 बैंकनोटों के लिए सुरक्षा विशेषताओं की खरीद हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकाता देते हुए) आदेश, 2017 के अनुसार "मेक इन इंडिया" उपबंध को (जहाँ तक संभव हो) शामिल करते हुए जुलाई 2017 में एक वैश्विक अर्हता-पूर्व बोली की सूचना जारी की गयी थी। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

महात्मा गांधी (नई) शृंखला (एमजीएनएस) के बैंकनोट

VIII.17 देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वर्ष 2016 में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंकनोट प्रारंभ किए गए थें। इस वर्ष के दौरान उसी शृंखला में ₹100 और ₹20 मूल्यवर्ग के भी बैंकनोट जारी किए गए (सारणी VIII.9)।

सीवीपीएस की खरीद

VIII.18 वर्ष 2017-18 के दौरान 50 पुरानी सीवीपीएस मशीनों को बदलने के लिए वैश्विक निविदा जारी की गयी, और इन मशीनों की खरीद के लिए आदेश दिए गए। मशीनों की आपूर्ति और उसे लगाने का काम जारी है तथा दिसंबर 2019 तक यह कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। विभिन्न कार्यालयों में पंद्रह मशीनों का परिचालन शुरू हो गया है।

नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन

VIII.19 पहले की शृंखला की तुलना में छोटे आकार वाले महात्मा गांधी (नई) शृंखला के कटे-फटे नोटों को बैंक शाखाओं

सारणी VIII.9: महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंक नोट प्रारंभ करना

मूल्यवर्ग (₹)	पृष्ठभाग-थीम	आधार रंग	आकार
1	2	3	4
100	रानी की वाव	लैवेंडर	66 मिमी*142 मिमी
20	एलोरा गुफाओं का चित्र	हरा सा पीला	63 मिमी*129 मिमी

स्रोत : भारिबैं।

और भा.रि.बैं. के कार्यालयों में बदलने हेतु आम जनता को अधिकार देने के लिए रिज़र्व बैंक ने नोट वापसी नियामावली, 2009 में संशोधन किया है (बॉक्स VIII.1)।

मुद्रा प्रबंध समिति की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

VIII.20 दिनांक 7 फरवरी 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गयी घोषणा के

बॉक्स VIII.1

नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(1) के साथ पठित धारा 28 के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड अनुग्रह के रूप में किसी भी कटे-फटे अथवा दोषपूर्ण करेंसी नोट का मूल्य वापस करने के लिए नियमावली बनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत इस तरह के नोट भा.रि.बैं. कार्यालयों और बैंक शाखाओं में बदले जाते हैं। पूर्व की श्रृंखला की तुलना में विभिन्न आकार वाले नई श्रृंखला के नोट जारी होने और ₹2000 एवं ₹200 के नए मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियमावली, 2018 को भारत के राजपत्र में 6 सितंबर 2018 को अधिसूचित किया गया तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। नई नोट वापसी नियमावली के अनुसार ₹50 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों के लिए पूर्ण मूल्य के भुगतान हेतु आवश्यक नोट के एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े के न्यूनतम क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

यदि नोट के बड़े एकल टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र सारणी 1 में बताए गए अनुसार है, तो ₹50 मूल्यवर्ग से कम के कटे-फटे नोट का पूरा मूल्य वापस किया जा सकता है।

सारणी 1: ₹50 से कम के नोट के पूरे मूल्य के भुगतान के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र

मूल्यवर्ग (₹)	लंबाई (सें.मी.)	चौड़ाई (सें.मी.)	क्षेत्र (वर्ग सें.मी.)	पूर्ण मूल्य भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)*
1	2	3	4	5
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	12.9	6.3	81.27	41

*: प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोटों के क्षेत्र के आधे के बाद अगले पूर्ण उच्चतर वर्ग सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया गया है।

यदि नोट के बड़े एकल टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र सारणी 2 में बताए गए अनुसार है तो ₹50 और इससे अधिक के मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट का पूरा या आधा मूल्य वापस किया जा सकता है।

₹50 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट अगर उसी नोट के दो टुकड़ों से बने हो और प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान हो तो नोट का पूरा मूल्य वापस किया जा सकता है।

सारणी 2: ₹50 और अधिक के नोटों के पूर्ण या आधे मूल्य के भुगतान के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र

मूल्यवर्ग (₹)	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)@	आधा भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)**
1	2	3	4	5	6
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 (नई महात्मा गांधी श्रृंखला)	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

@: विशेष मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित।

*: विशेष मूल्यवर्ग में नोट के क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित।

अनुसार इंटर-एजेंसी समितियों यथा : मुद्रा भंडारण और संचलन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) और मुद्रा संचलन समिति (सीसीएम) (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती), की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया। सभी प्रेसों और पेपर मिलों में कच्ची सामाग्री की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, नोट मुद्रण प्रक्रियाओं, सुरक्षा विशेषताओं आदि के मानकीकरण से संबंधित विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए भी कार्य किया गया। सीसीएम की सिफ़ारिशों के मुताबिक नकद प्रबंधन गतिविधियों के लिए सेवा प्रदाताओं को रखने, एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट के प्रयोग, नोट सॉर्टिंग मशीनों पर नोटों के प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानकों तथा करेंसी चेस्टों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण, एटीएम नकदी पुनःपूर्ति के लेनदेन का समय से समाधान करने और भारत में मुद्रा संचलन को दक्ष एवं सुरक्षित बनाने के लिए करेंसी चेस्ट रहित शाखाओं द्वारा अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट में नकदी जमा करने पर सेवा शुल्क बढ़ाने के संबंध में रिज़र्व बैंक ने परिपत्र/अनुदेश जारी किया है। आधुनिक सुविधाओं वाले बड़े करेंसी चेस्ट खोलने के लिए भी मानदंड जारी किए गए हैं। एचएलसीसीएसएम (अंतरिम रोपोर्ट), सीसीएम और विशेषज्ञ समूह की सिफ़ारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं।

4. वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

वार्निश किए गए बैंकनोट की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण

VIII.21 भारतीय बैंकनोटों की आयु बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक प्रायोगिक आधार पर ₹100 मूल्यवर्ग में वार्निश किया गया बैंकनोट शुरू करेगा।

बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टि बाधितों की सहायता करना

VIII.22 बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टि बाधितों की सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक एक तंत्र/उपकरण विकसित करेगा। दृष्टि बाधितों (रंग पहचानने में अक्षम, आंशिक दृष्टि और दृष्टिहीन लोग) को नोट को पहचानने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय बैंकनोटों में कई विशेषताएँ हैं यथा : उत्कीर्ण मुद्रण एवं स्पर्शी चिन्ह, अलग-अलग आकार के बैंकनोट, बड़े-बड़े अंक, परिवर्ती रंग, मोनोक्रोमेटिक रंग, और पैटर्न। एक बार जब पुरानी शृंखला के बैंकनोट संचलन से वापस आ जाएंगे तो दृष्टि बधितों के लिए नई शृंखला के बैंकनोटों की पहचान करना स्वतः आसान हो जाएगा। 6 जून 2018 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में दिए गए संकेत के मुताबिक रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टि बाधितों की सहायता करने के लिए वैकल्पिक प्रोद्योगिकीय समाधान तलाशने पर भी काम कर रहा है।

ध्यान दिए जाने वाले अन्य क्षेत्र

VIII.23 मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क के तहत बैंकनोटों के उत्पादन को बढ़ाना एवं उसका स्वदेशीकरण, मुद्रा के दक्ष इनवेंटरी प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण क्षमता तथा लॉजिस्टिक्स में सुधार को अमल में लाना और बैंकनोटों एवं सिक्के की मांग का अनुमान करने के लिए बने मॉडलों का परिष्करण, ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वर्ष 2019-20 के दौरान विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला स्याही कारखाना स्थापित किया है जिसने अगस्त 2018 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके फलस्वरूप, बैंकनोटों की छपाई में प्रयुक्त होने वाले ड्राई ऑफसेट इंक्स, क्विकसेट इंटेग्लिओ इंक्स (क्यूएसआई), नंबरिंग इंक्स और कलर शिफ्टिंग इंक्स का निर्माण मैसूर कारखाने में किया जा रहा है। स्वदेशीकरण की दिशा में हासिल की गयी यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।